

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/2022-23/ ५४-

दिनांक :- ५.५.२०२२

कार्यालय आदेश

कार्यालय से जारी बिड आमंत्रण सूचना क्रमांक एफ2(8)/संकलन/सीए/2022-23/ 33 दिनांक 22.04.2022 के अन्तर्गत मण्डल के समस्त 48 इकाई कार्यालयों के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखों का अंकेक्षण एवं कर-अंकेक्षण करवाना, बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम खाते विविध आयकर प्रावधानों का अनुसरण करते हुए परीक्षण करवाना, वित्तीय अंतिम लेखों का सत्यापन/प्रमाणन एवं नोट्स/कमेंट्स ऑन एकाउण्ट्स करवाना, वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणिका प्रारूप सं. 3CB, 3CD एवं 10B में तैयार कर निर्धारित तिथि तक आयकर विभाग में प्रस्तुत करवाना एवं आयकर की धारा 285 B A के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की SFT विवरणिका निर्धारित अवधि में आयकर विभाग में प्रस्तुत करवाने बाबत सनदी लेखाकार की नियुक्ति हेतु प्राप्त 20 तकनीकी प्रस्ताव जो कि दिनांक 29.04.2022 को सांय 4.00 बजे खोले गये। प्राप्त 20 तकनीकी प्रस्तावों में मापदण्डों में संबंधित वांछित प्रपत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के पश्चात गठित कमेटी द्वारा परीक्षण के उपरान्त निम्न सनदी लेखाकार फर्में योग्य/अयोग्य पायी गई :-

क्र.सं.	योग्य सनदी लेखाकार फर्में
1	M/S ABHISHEK SHARMA & CO
2	M/S VIJAY GARG & ASSOCIATES
3	M/S SURESH R. GUPTA & CO.
4	M/S RAJVANSHI & ASSOCIATES
5	M/S R.P.VIJAY & COMPANY
6	M/S APT & CO LLP
7	M/S SHIV SHANKAR KHANDELWAL & CO
8	M/S P.C. MODI & CO.
9	M/S VINOD SINGHAL & CO. LLP
10	M/S SINGHAL JAIN & CO.
11	M/S RAKESH ASHOK & COMPANY
12	M/S L.D. SHARMA & CO.
13	M/S P.S.D. & ASSOCIATES
14	M/S GUPTA JASORIA & ASSOCIATES
15	M/S JLN US & CO.
16	M/S AGARWAL JAIN & GUPTA

क्र.सं.	अयोग्य सनदी लेखाकार फर्में
1	M/S S.S. PERIWAL & CO.
2	M/S K.K.BAKIWALA & CO.
3	M/S S. MISRA & ASSOCIATES
4	M/S MATHUR & CO

उपरोक्त योग्य सनदी लेखाकार फर्मों के वित्तीय प्रस्ताव नियमानुसार गठित कमेटी के सदस्यों एवं उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष संकलन प्रकोष्ठ (कमरा नम्बर 417) में दिनांक 04.05.2022 को सांय 4.00 बजे खोली जायेगी। उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

उप वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज0 आवा0 मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राज0 आवा0 मं0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार